संख्या 1042/आठ–4–07–30एन/96

प्रेषक,

आर.के. सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **समस्त मण्डायुक्त,**
उत्तर प्रदेश।
2. **समस्त जिलाधिकारी,**
उत्तर प्रदेश।
2. **उपाध्यक्ष,**
लखनऊ विकास प्राधिकरण
लखनऊ

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–4 लखनऊ : दिनांक 20 अगस्त, 2007

विषय : नजूल भूमि/सम्पत्ति को फ्री होल्ड किये जाने के संबंध में विधिक डीड निष्पादन हेतु स्टाम्प शुल्क में छूट विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नजूल भूमि के फ्री होल्ड निष्पादन हेतु पट्टा घृत अधिकारों को पूर्ण स्वामित्व अधिकारों में परिवर्तन करने के प्रयोजन के लिए नजूल भूमि के पट्टेदारों के पक्ष में स्टाम्प ड्यूटी में छूट दिये जाने हेतु शासन के कर एवं निबन्धन विभाग की अधिसूचना संख्या–2995/11–2005–500(7)/201 दिनांक 27 जुलाई, 2005 जारी की गयी थी जिसमें छूट की अवधि दिनांक 31 मार्च, 2006 तक अनुमन्य की गयी थी। शासन के कर एवं निबन्धन विभाग द्वारा उक्त छूट की अवधि अब पुनः दिनांक 25.07.07 से 31.03.08 तक अनुमन्य कराये जाने हेतु अधिसूचना संख्या– क.नि. 5–2290/11–2007–500(1)/2001, दिनांक 25 जुलाई, 2007 निर्गत की गयी है।

2– उक्त अधिसूचना दिनांक 25.07.07 की प्रति एतद्द्वारा आवश्यक अग्रेतर कार्यवाही हेतु संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

भवदीय,

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

आर.के. सिंह,
विशेष सचिव

संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग–5

संख्या : क.नि.–5–2290 / 11–2007–500 (7) / 2001

लखनऊ : दिनांक 25 जुलाई, 2007

अधिसूचना

साधारण खण्ड अधिनियम, 1897(अधिनियम) संख्या–10 सन् 1897 की धारा–21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के संबंध में यथा संशोधित भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (अधिनियम संख्या–2 सन् 1899) की धारा–9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल समय–समय पर यथा संशोधित सरकारी अधिसूचना संख्या–क.नि.–5–3338 / 11–2004–500(7) / 2001, दिनांक 02 जुलाई, 2004 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं :–

संशोधन

उपर्युक्त अधिसूचना में शब्द और अंक ''1 अप्रैल, 2005 से प्रारम्भ होने वाली, 31 मार्च, 2006 तक'' के स्थान पर शब्द और अंक ''26 जुलाई, 2007 से 31 मार्च, 2008 तक'' रख दिये जायेंगे।

आज्ञा से,

नीता चौधरी

प्रमुख सचिव

संख्या : क.नि.–5–2290(1) / 11–2007–500 (7) / 2001 तद्‌दिनांक

प्रतिलिपि अंग्रेजी एवं हिन्दी अधिसूचना की प्रति सहित संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे इसे दिनांक 25, जुलाई, 2007 के असाधारण गजट के भाग–1 खण्ड (ख) में अवश्य प्रकाशित करा दें, तत्पश्चात् गजट की 10 प्रतियां शासन के इस अनुभाग को तथा 100 प्रतियां आयुक्ट, स्टाम्प, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

कपिलदेव त्रिपाठी

संख्या : क.नि.–5–2290(2) / 11–2007–500 (7) / 2001 तद्‌दिनांक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रमुख सचिव, आवास विभाग एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश, शासन।
2. आवास आयुक्त, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, 101 महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ।
3. आयुक्त, स्टाम्प, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इस अधिसूचना की प्रति समस्त अपर / उप / सहायक महानिरीक्षक निबन्धन तथा समस्त उप निबन्धकगण को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
4. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त अपर जिलाधिकारी (वि / रा) उत्तर प्रदेश।
7. विधायी अनुभाग–1, उत्तर प्रदेश शासन।
8. गार्ड फाइल, संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग–5, उत्तर प्रदेश शासन।

आज्ञा से ,

कपिलदेव त्रिपाठी

विशेष सचिव

UTTAR PRADESH SHASAN
KAR EVEM NIBANDHAN ANUBHAG-5

In pursuance of the provisions if clause (3) of Aurcle 348 of the Constitution the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Government notification no.K.N.5-2290/11-2007-500(7)/2001 datd July 25, 2007 for general information.

Notification
Order
N0. K.N.5-2290/11-2007-500(7)/2001
Lucknow, Datd July 25, 2007

In exercise of powers under clause (a) sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (Act no-2 of 1899) as amended in its application to Uttar Pradesh read with section 21 of the General Clauses Act, 1897 (Act no-10 or 1897), the Governor is pleased to make the following amendment in Government notification no. K.N.3338/11-2004-500(7)/2001 dated July 2, 2004 as amended from time to time.

AMENDMENT

In the aforesaid notification, for the words and figures "commencing from April 1, 2005 to March 31, 2006", the words and figures from July 25, 2007 till March 31, 2008" shall be substituted.

By order,

Nita Chowdhury
Pramukh Sachiv